


क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	26-11-25	<p>पञ्जाबली पेश हुई। आधिकारिक अमीलीट की ओर से कौर्डे उपस्थित नहीं हुआ है। विमोहार सरकार अनाधिकार अमीलीट। आधिकारिक को करार आकाज दिवारी जर्दी काबाजुद अनुपासित पूर्व में भी अनुब्रष्टे हैं इससे जाहिर होता है कि प्रकटा के आगे नहीं चलाना चाहते। अनुपासित अमीलीट में अमीलीट अमीलीट अमीलीट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-3 नियम 3 के तहत खादिज की जाती है। पञ्जाबली काद कैसल नम्बर से काम होकर दायित्व दायर हो।</p> <p style="text-align: right;">  अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर </p>